Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Arms Appeal Case No.- 93 /2024]

Reyastullah Khan.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.10.2025	**आदेश** यह आर्म्स अपील वाद जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-1045 दिनांक- 01.7.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-18.10.2025 को विद्वान सरकारी अधिवक्ता के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी राज्य की ओर से जवाब दाखिल है। अपीलार्थी की ओर से विगत कई तिथियों पर पैरवी नहीं रहने के आलोक में दिनांक-23.8.2025 को सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश द्वारा उनको अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया था। इसके बावजूद उनकी ओर से कोई पैरवी वाद में नहीं किया गया। अंतिम सुनवाई (18.10.2025) के उपरान्त पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों/LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी मो0 रियातुल्लाह खाँ, पिता-मरहुम कलीमुल्लाह खाँ, सा0-नवहट्टा, वार्ड नं0-09, पो0+थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका सं0-CWJC No-6772/23 में दिनांक-02.1.2024 को पारित आदेश के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अपना आवेदन (दिनांक-15.4.2024) जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के समक्ष दाखिल किया गया। उक्त आवेदन को जिला दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उनके पिता-स्व0 कलीमुल्लाह खाँ को आर्म्स लाईसेंस (लाईसेंस नं0-4632/55) प्राप्त था। वर्ष-2007 में पिता के मृत्यु के उपरांत सुभम गण हाउस, सहरसा में आर्म्स जमा कर दिया गया। Petitioner का कहना है कि अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु होने की स्थिति उनके उत्तराधिकारियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के विभागीय नियम के आलोक में वे लाईसेंस के हकदार हैं। तथा यह कि अपने एवं परिवार की सुरक्षा के हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन आदेश (ज्ञापांक-1045 दिनांक-01.7.2024) का अवलोकन किया। उक्त आदेश के Finding में अंकित है कि ''थानाध्यक्ष नवहट्टा एवं पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक-320/गो0(शस्त्र) दिनांक-04.6.2018 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि मो0 रियातुल्लाह खाँ, पिता-स्व0 मरहुम कली मुल्लाह खाँ, सा0-नवहट्टा, वार्ड नं0-09, पो0+थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा के पास शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं है एवं इस परिस्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे हथियारों के अनावश्यक होड़ उत्पन्न हो सकती है,	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

	30.10.2025	जिससे लोक शांति एवं सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। आयुध नियम-2016 के निमय 10(1) के तहत अग्नायुध के सुरक्षित उपयोग और रख-रखाव हेतु किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। बुनियादी आयुध का सुरक्षात्मक चलन, रख-रखाव, गोलाबारी तकनीकें और अग्नायुध का सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन हेतु प्रशिक्षित नहीं रहने के कारण शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना है। उपरोक्त परिस्थिति में आयुध नियम-2016 के कंडिका-12(3)(a) में वर्णित प्रावधानों एवं शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा-13(3)(b), 14(1)(b)(ii) में वर्णित प्रावधानों के तहत लोक शांति एवं लोक सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवेदक मो0 रियासतुल्लाह खाँ के द्वारा एन0पी0बोर0 राईफल की अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन-पत्र को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है।'' जिला दण्डाधिकारी के स्तर से आर्म्स अधिनियम, 1959 एवं आर्म्स नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अनुसार आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन का निस्तार किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन तथा अर्हता के संबंध में कारणों का उल्लेख अपीलाधीन आदेश में किया गया है। अपीलाधीन आदेश में आर्म्स अधिनियम, 1959 की धारा-14(3) के तहत Reason for Refusal of Arms License अंकित है। Petitioner की ओर से जिला दण्डाधिकारी के उक्त Finding को Disprove करने हेतु कोई Admissible Evidence अथवा नया तथ्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। उपरोक्त के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जिला दण्डाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा अपीलाधीन आदेश (ज्ञापांक-1045 दिनांक-01.7.2024) संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 30/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 30/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा